30.7.20

वकील वादी को निर्देश पर प्रार्थना पत्र मय पेश हुए। वकील अप्रार्थीगण ने नकल ली गई। प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु दिनांक 06.8.20 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर

06.8.20

प्रार्थना पत्र पेश। बमुजब उक्त वादी का वाद आपसी राजीनामा स्वीकार किया जाता है तो विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी [illegible] किया गया। प्रार्थना पत्र मय शुमार होकर बाद मिसल दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर

डिगरी बमूकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम खींवसर
व इजलास राजकेष मीना, आर ए एस

ाण :–

श्री अमलू खां पुत्र मोहन खां
श्री सुभान खां पुत्र मोहन खां जातियान ढाडी निवासीगण महेषपुरा तहसील खींवसर जिला नागौर

बनाम

ादीगण–

1. श्री सुखे खां पुत्र मोहन खां
2. श्री बाबु खां पुत्र मोहन खां
3. श्री सम्पत अली पुत्र मोहन खां
4. श्री छोटू खां पुत्र मोहन खां जातियान ढाडी निवासीगण महेषपुरा तहसील खींवसर जिला नागौर
5. तहसीलदार खींवसर जिला नागोर
6. उपपंजीयक खींवसर जिला नागौर

ार्थना पत्र अंन्तर्गत धारा राजस्व वाद 53,88,188 रा.का.अ.. मुकद्दमान प्रार्थना पत्र संख्या–155/2017 मुकद्दमा आज वास्ते अनफिसाल कतई रूबर हमारे व हाजरी वादी....मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी गण ानिम मुद्दयलाह पेष होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

निर्णय

1. वादी सं. 01 अमलू खां के बटं में :–

   मौजा महेशपुरा के ख.न. 182/311 रकबा 08.05 बीघा सम्पूर्ण रखा गया है एवं ख.न. 385/311 रकबा 8.05 भूमि में रकबा 2.18 बीघा भूमि वादी सुभानखां के चिपते पश्चिमी दिषा यानि ख.न. 385/178 के बीच का भाग रखा गया है अमलूखां के बंट हिस्सा में कुल 11.03 बीघा रखा गया है।

2. वादी सं. 02 सुभान खां के बटं में :–

   मौजा महेशपुरा के ख.न. 178/307 रकबा 7 बीघा सम्पूर्ण रखा गया एवं ख.न. 175/303 रकबा 02.00 बीघा सम्पूर्ण बंट में रखा गया है। एवं ख.न. 385/178 रकबा 06.06 बीघा भूमि में से रकबा 2.03 बीघा भूमि ख.न. 178/307 के चिपते ही पश्चिमी दिशा में रखा गया है एवं सुभानखां के बंट हिस्सा में कुल 11.03 बीघा रखा गया है।

3. प्रतिवादी सं. 01 सुखे खां के बंट में :–

   मौजा महेशपुरा के ख.न. 185 रकबा 39.07 बीघा में से 10.10 बीघा भूमि सम्पूर्ण खेत की पश्चिमी माठ के चिपते हुए रखा गया है एवं ख.न. 174 रकबा 3.08 बीघा में से रकबा 13 बिश्वा भूमि सम्पूर्ण खेत के पश्चिमी माठ के चिपते ही रखा गया एवं इस प्रकार प्रतिवादी सं. 01 के बंट हिस्सा में कुल 11.03 बीघा रखा गया है।

4. प्रतिवादी संख्या 2 बाबु खां के बंट में :–

   मौजा महेशपुरा के ख.न. 185 रकबा 39.07 बीघा में से रकबा 10.10 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 04 छोटूखां के बंट हिस्से के चिपते ही पूर्वी दिशा में रखा गया एवं उक्त बंट के चिपते ही पूर्वी दिशा में प्रतिवादी संख्या 3 सम्पतअली खां के बंट में रखा गया है एवं ख.न. 174 रकबा 3.08 बीघा में से रकबा 13 बिश्वा भूमि प्रतिवादी सं. 1 सुखे खां के चिपते ही पूर्वी दिशा में रखी गई है प्रतिवादी संख्या 02 बाबुखा के कुल बंट हिस्सा में कुल 11.03 बीघा रखा गया है।

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर

5. प्रतिवादी सं. 3 सम्पतअली खां के बंट में :-
मौजा महेशपुरा के ख.न. 185 रकबा 39.07 बीघा भूमि में से रकबा 8.07 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 2 बाबुखां के चिपते ही पूर्वी दिशा में रखी गई है उक्त बंट से आगे पूर्वी दिशा में प्रतिवादी संख्या 4 छोटूखा का बंट रखा गया है एवं ख.न. 174 रकबा 3.08 बीघा में से रकबा 1.12 बीघा भूमि अलग से प्रतिवादी सं. 02 बाबू खां के चिपते ही पूर्वी दिशा में रखा गया उससे आगे पूर्वी दिशा में प्रतिवादी संख्या 04 छोटू खां का बंट हिस्सा एवं मौजा महेशपुरा के ख.न. 385/178 रकबा 06.06 बीघा भूमि में से रकबा 01.05 बीघा सम्पूर्ण खेत की पश्चिमी माठ के चिपते हुए एवं अमलूखा के बंट हिस्से से पश्चिमी दिशा में रखा गया है सम्पतअली के बंट हिस्सा में कुल 11.03 बीघा रखा गया है।

6. प्रतिवादी सं. 4 छोटू खां के बंट में :-
मौजा महेशपुरा के ख.न. 183 रकबा 6 बिश्वा बाड़ा सम्पूर्ण एवं ख.न. 184 रकबा 7 बिश्वा बाड़ा सम्पूर्ण, ख.न. 185 रकबा 39.07 बीघा भूमि में से रकबा 08.00 बीघा भूमि सम्पूर्ण खेत के पूर्वी दिशा में रखा गया है एवं प्रतिवादी सं. 3 सम्पतअली के बंट के चिपते ही पूर्वी दिशा में रखा गया ख.न. 185 रकबा 39.7 बीघा में से 02 बीघा भूमि अलग से प्रतिवादी सं. 1 के चिपते ही पूर्वी दिशा में रखी गई एवं ख.न. 174 रकबा 3.08 बीघा में से रकबा 10 बिश्वा सम्पूर्ण खेत के पूर्वी दिशा में एवं प्रतिवादी सं. 3 सम्पतअली के बंट से पूर्वी तरफ रखा गया है छोटूखा के बंट हिस्सा में कुल 11.03 बीघा रखा गया है। एवं राजीनामा के साथ पेश नजरी नक्शा राजीनामा का अभिन्न अगं है इसी अनुसार बंटवाड़ा किया जावें।

7. उभयपक्षकारान को एक दुसरे के कब्जा काश्त में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करने हेतु व राजस्व रेकर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतू स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।
वादीगण एवं प्रतिवादीगण पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे।
नोट : उक्त वादग्रस्त आराजीयन किसी भी अन्य बैंक में रहन है तो रहन मुक्त का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही नामान्तरण भरा जावें।

....................लीत......................मुबलिक...............बाबात.............खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर.............
........फिस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयोबो तक...............का अदा करें।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.06.21.........का जारी किया गया ।

राजकेश मीना RAS
सहायक कलक्टर
खींवसर

...ई	रूपया	पैसे	मुद्दायला	रूपय	पैसे
...म्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
...म्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
...म्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
...नताना वकील			खर्चा गवाहन		
...र्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
...स कमीश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
...बत् इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
...तफर्रिक			मीजान		

राजकेश मीना RAS
सहायक कलक्टर
खींवसर

पुनश्च :- इस प्रकरण के निर्णय दिनांक-
06.8.20 एवं डिक्री पर्चा दिनांक 16-6.24
में मौजा भैटेयापुरा के खि.न. 385/3
रकबा 8.05 के स्थान पर वादी अमलू
के अंश में खि.न. 385/178 रकबा 6.6
बीघा पढ़ा जावे।

सहायक कलक्टर
(SDO), खींवसर